न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 06/2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. विक्रम पुत्र लूणकरण जाति जैन निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स विनायक किराणा स्टोर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. अमृतलाल पुत्र लूणकरण जाति जैन निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स विनायक किराणा स्टोर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मालिक)
3. प्रेम कुमार पुत्र वगताराम, न्यू कॉलोनी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (मैसर्स जसनाथ ट्रेडर्स, नया बाजार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का मालिक)
4. नथमल माली पुत्र अमरचन्द माली (मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग क0 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर का सोल प्रोपराईटर)
5. रविकान्त अग्रवाल नोमीनी पर्सन ऑफ मैसर्स ग्लोबल हैल्थ फूड प्रा0लि0 (आगरा) के–12 के–13 साईट बी, अपसिडक इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथुरा, उत्तर प्रदेश।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 4व5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 17.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 22.02.2018 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स विनायक किराणा स्टोर धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखा गया खाद्य पदार्थ **Cooking medium proprietary food (arnik lite brand** जो एक कार्टून में रखा हुआ पाया गया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल के दो जार **Cooking medium proprietary food (arnik lite brand** वास्ते नमूना क्रय किये जाकर नमूना संख्या **पी–881** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **Cooking medium proprietary food (arnik lite brand** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.03.2018 में उक्त खाद्य पदार्थ **Cooking medium proprietary food (arnik lite brand** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** व **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा न तो कोई आक्षेप प्रस्तुत किया और न ही प्रतिरक्षणस्वरूप जवाब दिया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिये गये खाद्य उत्पाद **Cooking medium proprietary food (arnik lite brand)** निर्माता कम्पनी से खरीद किया गया था तथा निर्माता कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट की गई है तो इसके लिए अप्रार्थी सं. 1 कतई उत्तरदायी नही हैं,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे से उक्त माल पैकिंग अवस्था में जब्त किया गया हैं। लिहाजा अप्रार्थी सं. 1से3 के विरूद्ध यह परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2018 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई हैं। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त नमूना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य पदार्थों के मानकों एवं खाद्य योज्यों) विनियमन, 2011 के अनुच्छेद 2.12.1 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर निषेध एवं प्रतिबन्ध) विनियमन, 2011 के अनुच्छेद 2.1.1(6) व 2.3.7 के विहित प्रावधानों के उल्लंघनकारी होने पर अवमानक स्तर एवं मिथ्याछाप बताया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जवाब में प्रकट किया हैं कि अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया नमूना पैकिंग अवस्था में था जिसके लिये निर्माता कम्पनी ही उत्तरदायी है। उक्त खाद्य पदार्थ कम्पनी से खरीद कर पैकिंग अवस्था में ही आगे विक्रय किया जाता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1से3 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं होना प्रकट किया हैं जबकि उपभोक्ताओं को सीधे ही उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत निर्माता, पैकर्स, होलसेलर्स, वितरक एवं विक्रेता के उत्तरदायित्वों को भली–भांति प्राविधित किया गया हैं, जिसके अन्तर्गत होलसेलर्स एवं विक्रेता प्रत्येक मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ के जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। इसके अलावा भी असुरक्षित खाद्य पदार्थ को भी कोई लाईसेंसी यदि विक्रय करता हैं तो उसके लिये भी वह जिम्मेदार रहेगा। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में जब्त किये गये नमूना के विनिर्माता एवं वितरक द्वारा बावजूद नोटिस तामील जानबूझकर कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया हैं तथा अप्रार्थी सं. 1से3 विक्रेता एवं होलसेलर्स द्वारा प्रस्तुत जवाब अधिनियम की धारा 27 के प्रतिकूल होने से मानने योग्य नही हैं। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर